राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग

क्रमांक-एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/ दिनांक-30.11.2016

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

विषय- राजस्थान पेमेंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से नगदी रहित (cashless) भुगतान को प्रोत्साहित करवाने बाबत्।

संदर्भ- समसंख्यक पत्र दिनांक 17.11.2016

महोदय/महोदया,

जैसा कि आपको विदित है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा देश में डिजीटल पेमेन्ट को प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा प्रारंभ की गई भामाशाह योजना, प्लेटफॉर्म के माध्यम से आमजन को घर के नजदीक बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इसके लिए राज्य में 23000 से अधिक पॉस मशीनें (Micro ATM) ई-मित्र/बैंकिंग संवादकर्ता कार्यरत है। साथ ही भामाशाह मोबाइल एप के माध्यम से आमजन अपने बैंक खाते या मोबाइल खाते से राशि का सेवाओं के लिए भुगतान कर सकते है।

बजट घोषणा 2016-17 की अनुपालना में भामाशाह योजना के अन्तर्गत लाभान्वितों को नगद भुगतान की व्यवस्था उनके घर के समीप उपलब्ध कराने हेतु पंचायत स्तर से नीचे प्रदेश में 15000 ई-मित्र पे-पॉइन्ट्स स्थापित किये जाने हेतु चयनित गावों को आपके द्वारा विज्ञापित भी किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में संदर्भित पत्रानुसार आप द्वारा जिले के सभी बैंकों में माह नवम्बर व दिसम्बर में एक दिवसीय शिविरों का आयोजन भी किया जा रहा है।

राजस्थान पेमेंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजीटल पेमेन्ट को प्रोत्साहित करने हेतु आपसे निम्नानुसार कार्यवाही भी अपेक्षित हैः-

1. स्वयं की पॉस मशीन (Micro ATM) धारक, व्यापारियों/सेवा प्रदाताओं को राजस्थान पेमेंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेवाओं/ वस्तुओं के भुगतान हेतु प्रोत्साहित किया जाये।

   यदि ऐसे पॉस मशीनें (Micro ATM) धारक, व्यापारी/सेवा प्रदाता जो नगद राशि आहरण की सुविधा भी प्रदान करने के इच्छुक है, उन्हें संदर्भित पत्रानुसार बैंकिंग संवादकर्ता नियुक्त करवाकर KO कोड जारी करावें। इन्हें पृथक से प्रशिक्षण प्रदान करवाया जायेगा।

   इन्हें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया व पाईनलैब द्वारा स्थापित PoS पर प्रति सफल आहरण रू 5/- दिए जायेंगे तथा इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन व नरेगा भुगतान के प्रति सफल आहरण रू 5/- दिए जायेंगे। इससे सभी मशीन धारकों को अवगत कराया जाये।

2. राज्य में 40,000 से अधिक ई–मित्र केन्द्र कार्यरत है जिनके माध्यम से राजस्थान पेमेंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजीटल पेमेन्ट की आगामी 10 दिवस में स्थानीय नागरिकों को जानकारी देने हेतु, प्रत्येक ई–मित्र को न्यूनतम 50 नागरिकों का लक्ष्य दिया जाये।
3. डिजीटल पेमेन्ट को प्रोत्साहित करने हेतु संलग्न फ्लेक्स जिले के सभी अटल सेवा केन्द्र व बैंक शाखाओं पर लगवाये जाये।
4. जिले के सभी बैंकों में आयोजित किये जा रहे एक दिवसीय शिविरों में राजस्थान पेमेंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजीटल पेमेन्ट भुगतान प्रक्रिया की जानकारी आमजन को देने हेतु भुगतान प्रक्रिया का प्रदर्शन भी किया जाये।
5. स्थानीय जन–प्रतिनिधियों का सहयोग प्राप्त करते हुये इसका व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये।

भवदीय

संलग्न–उपरोक्तानुसार

(अखिल अरोरा)
शासन सचिव, आयोजना

क्रमांक–एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/ दिनांक–30.11.2016

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

1. सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. वरि. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
3. अति. मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
4. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
5. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
6. प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
7. शासन सचिव, सहकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
8. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान जयपुर
9. निदेशक तकनीकी, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर।
10. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, लाल कोठी, जयपुर
11. राज्य समन्वयक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बैंक ऑफ बड़ोदा, जयपुर।
12. प्रभारी अधिकारी, (ई–मित्र) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
13. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त जिला.............
14. अतिरिक्त जिला कलेक्टर, समस्त जिला.............
15. महाप्रबंधक/उपमहाप्रबंधक समस्त बैंक..........................,जयपुर।
16. अग्रणी जिला प्रबंधक, समस्त जिला..................
17. एसीपी (उपनिदेशक), सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, समस्त जिला..............
18. सहायक/उपनिदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, समस्त जिला.............

(ओम प्रकाश बैरवा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव